2026:RJ-JP:36926

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8004/2026

Mula Ram S/o Kheta Ram, Aged About 28 Years, R/o Kekar Tehsil Sedwa, District Barmer Raj.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Mohan Ram S/o Mula Ram, Aged About 45 Years, R/o Village Adarsh Kekar, Tehsil Sedwa, District Barmer Raj

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. DN Yadav
For Respondent(s)	:	Ms. Sonu Manawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

03/07/2026

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से इस न्यायालय की खण्डपीठ के न्यायिक दृष्टांत Manohar Lal Saini & Ors. Versus State of Rajasthan 2016(1) Cr.L.R.(Raj.)184 के निर्णय की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए यह निवेदन किया कि इस मामले में धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आदेश दिनांक 26.07.2024 पारित करते हुए गिरफ्तारी वारंट से तलब किये जाने का आदेश दिया गया था, जिसके संबंध में अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है।

सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत इस न्यायालय की खण्डपीठ के न्यायिक दृष्टांत पर विचार किया गया। इस न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि जब धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्त को तलब किया जाता है तो धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के साथ–साथ धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी अवस्था में कार्यालय द्वारा जो आक्षेप लगाये गये हैं उसे निरस्त किया जाता है।

धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाता है।

अप्रार्थी संख्या 2 को दिनांक 13.07.2026 को वापसी योग्य नोटिस जारी किया जावे।

आगामी तारीख पेशी तक प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिसथाना सेड़वा जिला बाड़मेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 228/2022 के सिलसिले में गिरफ्तार नहीं किया जावे।

निवेदन अनुसार पत्रावली दिनांक 13.07.2026 को सूचीबद्ध की जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

78-S N LOHRA/-